…ing George's Medical University
Uttar Pradesh, Lucknow – 226003, India

…ta Jain
…cademics

\# Dean- Academics/KGMU/2024/320
Dated:- 12/3/24

आदेश

निम्नलिखित अभ्यर्थियों का चयन दिनॉक 11 मार्च 2024 को आयोजित द्वितीय काउंसिलिंग के माध्यम से उनके नाम के सम्मुख अंकित पी0डी0सी0सी0/फैलोशिप पाठ्यक्रम में एक वर्ष के लिए किया जाता है:-

Sr. No.	Name of Course	Department	Name of Candidate
1	Fellowship in Oculoplasty	Ophthalmology	Dr. Anjali Gupta
2	PDCC in Spine Surgery	Orthopedic Surgery	Dr. Santosh Kumar Sharma
3	Fellowship in Craniofacial Surgery	Plastic Surgery	Dr. Swati Suresh Jadhav
4	Fellowship in Sports Medicine	Sport Medicine	Dr. Purushottam Gandhi

1. उपरोक्त अभ्यर्थियों का कार्यकाल विभाग में ज्वाइन करने की तिथि से एक वर्ष का होगा।
2. पी0डी0सी0सी0/फैलोशिप पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की तथा विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की अन्तिम तिथि 18 मार्च 2024 है।
3. उपरोक्त अभ्यर्थियों को सम्बन्धित विभाग में पी0डी0सी0सी0/फैलोशिप पाठ्यक्रम में ज्वाइन करने के पूर्व अधिष्ठाता कार्यालय (पी0एच0आई0 भवन) में समस्त मूलप्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होकर पी0डी0सी0सी0/फैलोशिप पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रकिया पूर्ण करना होगा तथा University Income Fund (A/C No. 20229846433) में शिक्षण शुल्क रू0 61,100/- तथा काशन मनी रू0 10,000/- (Caution Money Refundable) कुल शुल्क रू0 71,100/- जमा करना अनिवार्य होगा।
4. उपरोक्त अभ्यर्थियों को इस आशय का 10 रूपये के स्टाम्प पर नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र देना होगा कि यदि वह पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पहले, किसी समय, पाठ्यक्रम से त्यागपत्र देते तो इन्हे शिक्षण शुल्क वापस नही किया जायेगा।
5. पी0डी0सी0सी0/फैलोशिप पाठ्यक्रम की अवधि में अभ्यर्थियों को किसी भी तरह की प्राइवेट प्रेक्टिस अनुमन्य नही होगी। अवकाश नियमानुसार जो सीनियर रेजीडेन्ट पर लागू हो के अनुसार नोडल अधिकारी/विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किये जायेगें। अन्य सभी शर्ते जो रेजीडेन्टों पर लागू है उनके ऊपर भी लागू होगी। उक्त पाठ्यक्रम का कार्यकाल समाप्त होने के उपरान्त पी0डी0सी0सी0/फैलोशिप पाठ्यक्रम की परीक्षा में बैठने की अनुमति नोडल अधिकारी/विभागाध्यक्ष से आख्या प्राप्त होने के पश्चात प्रदान की जायेगा। परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्ष एवं अधिष्ठाता के हस्ताक्षर से प्रदान किया जायेगा।
6. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश द्वारा शासनादेश संख्या 950/71-2-82-2017 द्वारा अनिवार्य सेवा वाण्ड के अर्न्तगत अन्य मेडिकल कालेजों में नियोजित किया गया है उन्हे निर्देशित किया जाता है कि वह महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश से उक्त पाठ्यक्रम ज्वाइन करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये तत्पश्चात ही उन्हे चयनित पाठ्यक्रम में ज्वाइन करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

(प्रो0 अमिता जैन)
डीन एकेडमिक्स

संख्या तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपितः-

1. सम्वन्धित विभागाध्यक्ष, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
2. कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/चिकित्सा अधीक्षक, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4. वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. प्रभारी अधिकारी, केन्द्रीय पुस्तकालय, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6. प्रभारी अधिकारी, आई0टी0सेल, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेपित है कि उपरोक्त आदेश संस्थान की वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
7. कुलपति जी के निजी सचिव को।
8. प्रभारी वेतन अनुभाग, वित्त कार्यालय, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
9. सम्वन्धित अभ्यर्थी को।

12.3.24
(प्रो0 अमिता जैन)
डीन एकेडमिक्स